10रु. कोर्ट फी Rs.10 COURT FEE भारत INDIA दस रुपये TEN RUPEES CANCELLED

10रु. कोर्ट फी Rs.10 COURT FEE भारत INDIA दस रुपये TEN RUPEES CANCELLED

न्यायालय श्रीमान् राजस्व मंडल बोर्ड ग्वालियर (म0प्र0)

(केम्प सागर संभाग सागर (म0प्र0)

नि.ग. – 18 – II – 16

B.O.R.

9 NOV 2015

1. सतीष आत्मज भोले शर्मा [illegible]
निवासी फुटेरा वार्ड नम्बर 2, दमोह (म0प्र0)

.........................पुनरीक्षणकर्ता

/ / विरूद्ध / /

1. मध्यप्रदेश शासन
2. श्रीमान् खनिज अधिकारी दमोह (म0प्र0)

..............प्रतिपुनरीक्षणकर्तागण

पुनरीक्षण आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 50 मध्यप्रदेश भू– राजस्व संहिता 1959

1. यह कि पुनरीक्षणकर्ता द्वारा एक द्वितीय अपील माननीय अपर आयुक्त महोदय सागर संभाग सागर (म0प्र0) की न्यायालय में अपील प्रकरण क्रमांक 768अ / 67–12–13 पेश की थी। जिसमें दिनॉक 16 / 09 / 2015 को माननीय निम्न न्यायालय द्वारा पारित आदेश द्वारा अपील निरस्त कर दी। जिससे दुखी होकर पुनरीक्षणकर्ता ने यह पुनरीक्षण आवेदन पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया है।

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण

1. यह कि खनिज निरीक्षक दमोह (म0प्र0) द्वारा दिनॉक 05 / 04 / 2013 को ग्राम खेजरा पटमोहन में पटवारी हल्का नं0 22 स्थित नीलाम खदान का निरीक्षण कर प्रतिवेदन अनुविभागीय अधिकारी महोदय दमोह (म0प्र0) को इस आशय का प्रस्तुत किया कि पुनरीक्षणकर्ता द्वारा 600 घनमीटर बजरा (रेत) निकालकर खेजरा पटमोहन धनगौर

लगातार 2

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक R 18-II/ 16 जिला दमोह

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
29–3–2016	मैंने आवेदक अधिवक्ता के ग्राहयता पर तर्क सुने और नस्ती में उपलब्ध अधीनस्थ न्यायालयों के आदेशों एवं अन्य सुसंगत दस्तावेजों की प्रतियों का, जो कि आवेदक व्दारा ही उपलब्ध कराई गई हैं, परिशीलन किया । अनुविभागीय अधिकारी दमोह ने खनिज अधिकारी/निरीक्षक के प्रतिवेदन के आधार पर आवेदक के विरूध्द अर्थदण्ड का आदेश दिनांक 29-6-12 पारित किया है, जिसके विरूद्ध अपर कलेक्टर ने प्रथम अपील दिनांक 21-5-13 को खारिज की और अपर आयुक्त ने व्दितीय अपील दिनांक 16-9-15 के आदेश से खारिज की, जिसके विरूद्ध यह निगरानी आवेदन प्रस्तुत हुआ है । आवेदक का प्रथम तर्क यह है कि अनुविभागीय अधिकारी ने उसके विरूद्ध एक पक्षीय आदेश किया । इस संबंध में अनुविभागीय अधिकारी के आदेश में स्पष्ट लिखा है कि आवेदक को नोटिस तामीली हेतु भेजा गया किन्तु वे उपलब्ध नहीं हुये; घर के किसी भी सदस्य व्दारा उनके संबंध में कोई जानकारी नहीं दी गई; एवं नोटिस लेने से इन्कार करने पर विधिवत कारण बताओ नोटिस कोटवार की उपस्थिति में मकान पर चस्पा कर तामीली कराई गई। किन्तु इसके बाद भी निधार्रित तिथि में उपस्थित ना होने से उसके विरूध्द एक पक्षीय कार्यवाही की गई । अपर आयुक्त ने भी इस बिन्दु पर बोलता हुआ स्पष्ट निर्णय आक्षेपित आदेश में लिया है । अत: यह बिन्दु स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है । आवेदक का शेष तर्क यह है कि नीलम खदान के मालिक को प्रकरण में आवश्यक पक्षकार नहीं बनाया गया और मौके से कोई ट्रेक्टर या जेसीबी भी जप्त नहीं हुए । इस संबंधमें एक तो यह स्पष्ट है कि ट्रेक्टर एवं जेसीबी movable (चल प्रकृति के) वाहन हैं, उन्हें मौके से हटाया जा सकता है, अत: उनके जप्त ना होने से अवैध उत्खनन के तथ्यात्मक बिन्दुओं पर प्रभाव पडना नहीं माना जा सकता । दूसरे, खनिज अधिकारी/निरीक्षक के प्रतिवेदन में रोड निर्माण	

निग0 18–दो/16

जिला दमोह

(मानपुर से धनगौर खेजरा मार्ग) हेतु 600 घ0मी0 बजरे का रिवर बेड से उत्खनन पाए जाने का स्पष्ट लेख है, इससे यह स्पष्ट है कि रेत का अवैध उत्खनन हुआ था जो कि रिवर बेड से हुआ था, और इन कारणों से किसी नीलम खदान के मालिक को पक्षकार बनाया जाना आवश्यक प्रतीत नहीं होता, तथा यह प्रकरण म0 प्र0भू-राजस्व संहिता की धारा 247 (7) में भी आता है ।

उपरोक्त के प्रकाश में निगरानी के कोई स्वीकृति योग्य ठोस आधार नहीं होने से, यह प्रकरण अग्राहय कर राजस्व मण्डल से समाप्त किया जाता है ।

आदेश पारित । पक्षकार सूचित हो ।

दा0द0 हो ।

29.3.16

(आशीष श्रीवास्तव)

सदस्य